न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 203/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/371**
दायर दिनांक :– 22.07.2025 **निर्णय दिनांक :– 10.11.2025**

1. मगनाराम पुत्र हीरकनराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र लालूराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. जगदीश पुत्र लालूराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. मदनलाल पुत्र लालूराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. मनीष पुत्र तेजाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
5. राधा पत्नि तेजाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
6. शंकरलाल पुत्र लालूराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
7. सोनाराम पुत्र लालूराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
8. कंवरलाल पुत्र रूगनाथराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामनगर तहसील बाप जिला फलोदी
9. मांगीलाल पुत्र रूगनाथराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामनगर तहसील बाप जिला फलोदी
10. राजूराम पुत्र रूगनाथाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामनगर तहसील बाप जिला फलोदी
11. बिदामी पत्नि अशोक जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
12. भंवरलाल पुत्र फूसाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
13. भागीरथराम पुत्र फूसाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
14. रमेश कुमार पुत्र सांवरराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
15. श्यामलाल पुत्र सांवरराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
16. सांवरिया उर्फ सांवरराम पुत्र हिरकनराम जाति विश्नोई नि. रामपुरा तह. बाप जिला फलोदी
17. जीवणराम पुत्र पुनाराम जाति जाट निवासी कजनाऊ
18. समदी पत्नि भंवरूराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
19. ओमप्रकाश पुत्र रूघाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
20. तुलछी पत्नि फतूराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
21. भरमलराम पुत्र फतूराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
22. मनफूल पुत्र रूघाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
23. राणाराम पुत्र फतूराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
24. श्यामलाल पुत्र रूघाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
25. हजारीराम पुत्र फतूराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
26. हरीराम पुत्र रूघाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

Satya..

27. किशनाराम पुत्र हडमानराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

28. मांगीलाल पुत्र भंवरलाल जाति विश्नोई नि. शिवनगर मोरिया तहसील आऊ जिला फलोदी

29. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बाप

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता
2 .पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 911 रकबा 8.6683 हैक्टेयर सरहद मौजा रामपुरा पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू–नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर उपतहसीलदार शेखासर द्वारा दिनांक 28.06.2024 को जारी आदेश कम संख्या 77 की पालना में दिनांक 01.07.2024 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश करने पर पड़ोसी खातेदारों द्वारा विवाद किया गया। विवाद की स्थिति में सीमाज्ञान नहीं किया जा सका। पैमाईश फर्द नियमानुसार तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थी की उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 28 द्वारा पैमाईश के वक्त विवाद खड़ा कर दिया जिससे प्रार्थी के भूमि की पैमाईश नहीं हो पाई। प्रार्थी की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थी अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबंदी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की पुनः पैमाईश करवाकर पुनः पैमाईश अनुसार पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 28 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 29 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 29 पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम रामपुरा पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 911 रकबा 8.6683 हैक्टेयर भूमि की पुनः पैमाईश करवाई जाकर उसी अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित है। पत्थरगढी की पालना में मौके पर कब्जा नहीं दिलाया जावें, यह आदेश में स्पष्ट कराने का श्रम करावे। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रामपुरा पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 911 रकबा 8.6683 हैक्टेयर भूमि में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज दिन तक

लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश की पुनः पैमाईश कर इसी अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रामपुरा पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 911 रकबा 8.6683 हैक्टेयर में स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए वादग्रस्त आराजी की पुनः पैमाईश कर पैमाईश अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम रामपुरा पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 911 रकबा 8.6683 हैक्टेयर भूमि की पुनः पैमाईश की जाकर पैमाईश अनुसार पत्थरगढी पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थरगढी करवावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Satya..

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)